1319

01-02-08

(70)

झारखण्ड सरकार

[illegible] विकास विभाग।

(उच्च शिक्षा)

संकल्प

[illegible] कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा की स्थापना के अन्तर्गत परिनियमित पद एवं विभिन्न श्रेणी के अध्यापकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदों के पद सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य की जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि एवं उच्चतर शिक्षा को सहज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2009 के तहत् कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा की स्थापना की है। इस नव स्थापित विश्वविद्यालय के प्रशासनिक व्यवस्था एवं अध्यापन के सुचारू रूप से संचालन के लिये विश्वविद्यालय कार्यालय स्थापना के अधीन परिनियमित पदों, स्नातकोत्तर विभागों के शिक्षक तथा शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिए पदों का सृजन किया जाता है।

विश्वविद्यालय कार्यालय की स्थापना के अधीन परिनियमित 7 पदों एवं विभिन्न संकायों के कुल 22 स्नातकोत्तर विभागों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्डों के अनुरूप प्रत्येक स्नातकोत्तर विभाग में एक प्रोफेसर, दो रीडर एवं तीन व्याख्याता के अनुसार विषय विशेष के प्रोफेसर, रीडर एवं व्याख्याता के क्रमशः 22, 44 एवं 66 पदों के साथ-साथ [illegible] सहायक एवं 20 आदेशपालों के पदों का सृजन किया जाता है।

3. उपर्युक्त कंडिका 1 एवं 2 के अनुसार पदों के सृजन एवं उनपर अनुमानित वार्षिक व्यय भार निम्नवत् होंगे:-

कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के अन्तर्गत पद सृजन एवं इस पर अनुमानित वार्षिक व्यय का विवरण-

क्र० सं०	सृजन के लिये प्रस्तावित पद	पद की संख्या	पद का वेतनमान	प्रतिमाह अनुमान्य व्यय	वार्षिक अनुमान्य व्यय
1	कुलपति	1	25000	57000	684000
2	प्रतिकुलपति	1	16400-22400	35520	426240
3	कुल सचिव	1	16400-22400	31670	300040
4	वित्त पदाधिकारी	1	16400-22400	31670	380040
5	परीक्षा नियंत्रक	1	16400-22400	31670	380040
6	उप कुल सचिव	1	12000-18300	24940	299280
7	सहायक कुल सचिव	1	8000-13500	16700	200400

Scanned with CamScanner

8	(क) स्नातकोत्तर कला (सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी संकाय) विभागों के निम्नांकित [illegible] विषयों के लिए 1-[illegible], 2-हिन्दी, 3-राजनीति शास्त्र, 4-इतिहास, 5-अर्थशास्त्र, 6-भूगोल, 7-समाजशास्त्र, 8-दर्शनशास्त्र, 9-मानवविज्ञान, 10-गृहविज्ञान, 11-बंगाली, 12-संस्कृत, 13-उर्दू, 14-गृहविज्ञान, [illegible] (ख) स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय विभागों के निम्नांकित 6 विषयों के लिये 1-रसायन, 2-भौतिकी, 3-गणित, 4-वनस्पति शास्त्र, 5-जीव विज्ञान, 6-भूगर्भ शास्त्र। (ग) स्नातकोत्तर वाणिज्य संकाय विभागों के निम्नांकित 1 विषय के लिए 1-वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रबंधन विभाग। (क) (ख) एवं (ग) के कुल 22 विषय के लिए				
	1-प्रोफेसर (प्रत्येक विषय के लिए एक पद)	22		34000	89[illegible]
	2-रीडर (प्रत्येक विषय के लिए दो पद)	44		24940	131
	3- व्याख्याता (प्रत्येक विषय के लिए तीन पद)	66		16700	132
9	सहायक	44		8250	48[illegible]
10	आदेशपाल	20		[illegible]	94
..	Grand Total:	(रूपये चार करोड़ चौंतीस लाख बाईस हजार तीन सौ साठ) मात्र			434

4: वित्तीय वर्ष 2007-08 में इसके लिए वार्षिक व्यय भार 4,34,22, रु० (चार करोड़ चौंतीस लाख बाईस हजार तीन सौ साठ रूपये) मात्र की राशि उपल[illegible] जाना है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाय त[illegible] प्रतिलिपि सभी संबंधितों को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश

(जे० टोप्पो)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-........................../ रांची, दिनांक-............................/

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, रांची को गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसक 500(पांच सौ) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग [illegible] करायी जाय।

(जे० टोप्पो)

1319

Scanned with CamScanner

पत्रांक–1/वि०–234/2016................./

झारखण्ड सरकार

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,

(उच्च शिक्षा निदेशालय)

AR
13.11.17

संकल्प

विषय-- कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अंतर्गत उड़िया भाषा विभाग खोलने हेतु पद सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

झारखण्ड राज्य में उड़िया एक प्रमुख भाषा है। कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा में उड़िया भाषा में स्नातकोत्तर विभाग खोलने के लिए समय–समय पर विभिन्न संस्था, बुद्धिजीवियों तथा छात्र–छात्राओं द्वारा किये जा रहे अनुरोध के आलोक में कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अंतर्गत उड़िया भाषा विभाग खोलने हेतु पद सृजन की स्वीकृति का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन था। राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अंतर्गत उड़िया भाषा विभाग खोलने हेतु निम्नांकित पदों के सृजन की स्वीकृति दी है:–

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान	सृजन हेतु पद	अभियुक्ति
1	2	3	4	7
1.	प्रोफेसर	37,400–67,000 AGP 10,000	01	1. सह–प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक की सीधी नियुक्ति राज्य सरकार के स्टैच्यूट के अनुसार झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर कुलपति द्वारा किया जायेगा। 2. क्रमांक–1 से 3 में तत्कालीन मानव संसाधन विकास विभाग के संकल्प संख्या–1188 दिनांक–20.11.2010 द्वारा स्वीकृत वेतनमान/ग्रेड पे देय होगा। 3. सहायक की नियुक्ति राज्य सरकार के स्टैच्यूट के अनुसार होगी।
2.	एसोसिएट प्रोफेसर	37,400–67,000 AGP 9,000	02	
3.	सहायक प्रोफेसर	15,600–39,100 AGP 6,000	03	
4.	सहायक	9,300–34,800 AGP 4,200	02	
5.	आदेशपाल		01	4. चतुर्थ वर्ग की सेवा बाह्य स्रोत से प्राप्त की जायेगी तथा श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अद्यतन निर्धारित दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर मासिक मानदेय दिया जायेगा। 5. बाह्य स्रोत के पद स्वीकृत नहीं समझे जायेंगे, अपितु बाह्य स्रोत से सेवा प्राप्त किये जाने हेतु अधिकतम कर्मी की संख्या समझी जायेगी।
		कुलः–	09	

2. उक्त पदों की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–06.10.2017 में मद संख्या–28 के रूप में दी गयी है।

3. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

R-5102/17
9/11/17

AR-2387/17
16/11/17

Scanned with CamScanner

ज्ञापांक–1/वि०–234/2016................................/   राँची, दिनांक–........................./

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प की 200 (दो सौ) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/–
(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–1/वि०–234/2016................................/   राँची, दिनांक–........................./

प्रतिलिपिः– महालेखकार, झारखण्ड, हिनू, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–1/वि०–234/2016....2447..../   राँची, दिनांक–....16/10/17.../

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड/प्रधान सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड/निदेशक, उच्च शिक्षा, झारखण्ड/कोषागार पदाधिकारी, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची/कुलसचिव, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/10/17
(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

Scanned with CamScanner